INDIA NON JUDICIAL

Government of Chhattisgarh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-CG01799347960132N
Certificate Issued Date	:	13-Oct-2015 02:31 PM
Account Reference	:	NONACC (BK)/ cgjsbil09/ JANJGIR/CG-JC
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-CGCGJSBIL09019654438241146N
Purchased by	:	BHAGWAT RATHORE
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	GYANODAY COLLEGE OF EDUCATION JANJGIRAN
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	GYANODAY COLLEGE OF EDUCATION JANJGIRAN
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

कार्यालय उप पंजीयक जिला जांजगीर-चांपा

Please write or type below this line

1780

14 OCT 2015

दस्ता. 1798 दिनांक 6.9.2012 के
छापा प्रति में संलग्न है

उप-पंजीयक
जांजगीर

0002236831

VOID VOID VOID VOID VOID VOID VOID VOID VOID VOID

PRINCIPAL

Gyanoday College of Education
Janjgir, Distt.-Janjgir-Champa (C.G.)

Principal
Gyanoday College of Education
Janjgir, Distt.-Janjgir-Champa (C.G.)

$\frac{10000}{1} + \frac{100}{1} + \frac{10}{1} + 1500 = ?$

(5)(5)

सं. 2016 से 2016 कक्ष क्र. 3 नगर दि. 6-09-2012

पक्ष-1 सुरेश यादव व० आई.पी. यादव जा० यादव नि०

पक्ष-2 केसरी शिक्षण समिति जाँजगीर द्वारा – अध्यक्ष

ईश्वरीप्रसाद व० केसरीराम जा० यादव

नि० जाँजगीर

म० स्वयं

बा० अनुबंध पत्र

राजेश मिश्रा

ग० वि० जाँजगीर

ई० ईश्वरीप्रसाद यादव (अ०ह०)

उ० पं०

अनुबंध पत्र

प्रथम पक्षकार (पट्टादाता) :– सुरेश कुमार यादव उम्र 41 वर्ष, पिता श्री आई.पी. यादव, जाति यादव, निवासी जांजगीर, थाना व तहसील जांजगीर, जिला : जांजगीर–चाम्पा (छत्तीसगढ़)

द्वितीय पक्षकार (पट्टा ग्रहिता) :– केसरी शिक्षण समिति, जांजगीर द्वारा–अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद यादव,उम्र 67 वर्ष, पिता केसरी राम यादव जिला : जांजगीर–चाम्पा (छत्तीसगढ़)

पट्टे में दी जाने वाली भूमि का विवरण :– मौजा ग्राम : जांजगीर, पटवारी हल्का नंबर 47, राजस्व निरीक्षक मण्डल व तहसील जांजगीर, जिला : जांजगीर–चाम्पा के वार्ड कमांक 10, अकलतरा रोड में व्यपवर्तित आवासीय मकान व खुला प्लाट है, जिसका खसरा नंबर कमशः 3440/45, 3440/33, 3440/50 रकबा कमशः 0.04 एकड़, 0.10½ एकड़, 0.11 एकड़, कुल खसरा नंबर 03, कुल रकबा 0.25½ एकड़।

विवरणः– उक्त भूमि एवं मकान प्रथम पक्षकार/पट्टादाता के स्वत्व व आधिपत्य की है, जिसे द्वितीय पक्षकार/पट्टाग्रहिता ने 40,000/– (चालीस हजार रूपये) वार्षिक किराये पर तीस वर्षो के लिए स्वीकार किया है। जो दिनांक 06.09.2012 से प्रारंभ होकर 05.09.2042 तक प्रभावशील रहेगा।

...2...

PRINCIPAL
Gyanoday College of Educat
Janjgir,Distt.-Janjgir-Champa (C

(राजेश मिश्रा)

अध्यक्ष
केसरी शिक्षण समिति, जाँजगीर
जि.-चाम्पा (छ.ग.)

Principal
Gyanoday College of Education
Janjgir, Distt.-Janjgir-Champa (C.G.)

पजायन अधिनियम की धारा 32 (A) के तहत फोटो एवं अंगूष्ठ छाप

बायें हाथ का अंगूष्ठ छाप	पासपोर्ट-साईज फोटो	विक्रेता/दावेदार का नाम एवं स्थाई पता
2		4

विक्रेता/क्रेता का नाम ---सुरेश कुमार यादव

ग्राम का नाम ---जांजगीर---

विक्रेता/क्रेता का नाम ---ईश्वरी प्रसाद यादव

ग्राम का नाम ---जांजगीर---

अध्यक्ष
नेहरू शिक्षण समिति, जांजगीर
जि. जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

विक्रेता/क्रेता का नाम ----------

ग्राम का नाम ----------

विक्रेता/क्रेता का नाम ---अभिषेक ठेठवार

ग्राम का नाम ---जांजगीर---

विक्रेता/क्रेता का नाम ---मनहरण सूर्या

ग्राम का नाम ---जांजगीर---

MANHARAN

मारुती, नैला

PRINCIPA.
Gyanoday College of Educ...
Janjgir, Distt. Janjgir-Champa (C.G.)

PRINCIPA.
Gyanoday College of Education
Janjgir, Distt.-Janjgir-Champa (C.G.)

उक्त भूमि एवं मकान पर द्वितीय पक्षकार "केसरी शिक्षण समिति ....." से संबंधित कार्य के लिए उपयोग करेगा, व्यक्तिगत कार्य के लिए कोई निर्माण कार्य नही करेगा, जिस पर प्रथम पक्षकार/पट्टादाता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जा सकेगी एवं किराये की अवधि पूर्ण होने पर भूमि एवं मकान का रिक्त आधिपत्य द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार को सौंप देगा। यदि दोनो पक्षों की सहमति होती है तो पट्टे की अवधि नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी।

उक्त भूमि पर द्वितीय पक्षकार/पट्टाग्रहिता आवश्यकतानुसार स्वयं के व्यय पर निर्माण कार्य करेगा तथा पट्टे की अवधि आवसान पश्चात् स्वयं के व्यय पर हटावेगा।

द्वितीय पक्षकार/पट्टाग्रहिता, प्रथम पक्षकार/पट्टादाता को पट्टे की वार्षिक राशि प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक अदा कर देगा एवं पावती प्रथम पक्षकार से प्राप्त कर सकेगा। पट्टे की राशि में पट्टा की अवधि (30 वर्ष) तक कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

प्रथम पक्षकार को अपने भूमि एवं मकान पर किसी भी समय देख–रेख का अधिकार होगा तथा द्वितीय पक्षकार को बैंक से ऋण प्राप्त करने, तथा बैंक के पक्ष में बंधक रखने का अधिकार होगा तथा बैंक की ऋण जारी करने की स्थिति में यह पट्टा प्रथम पक्षकार, द्वितीय पक्षकार के पक्ष में नवीनीकरण अथवा आगे जारी रख सकेगी।

अध्यक्ष
केसरी शिक्षण समिति, जांजगीर
जांजगीर (छ.ग.)

Principal
Gyanoday College of Education
Janjgir, Distt.-Janjgir-Champa (C.G.)

(8) (67)

अन्त: यह अनुबंध पत्र आज दिनांक 06.09.2012 को दिन मंगलवार को दो गवाहों के समक्ष दोनों पक्ष अपने–अपने स्वस्थ इन्द्रियों में रहकर टाईप कराकर पढ़ व समझकर अपना–अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिये ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आवे।

प्रारूपकर्ता,
अधिवक्ता, जांजगीर,
स्थान : जांजगीर,

द्वितीय पक्षकार (पट्टा ग्रहिता)

अध्यक्ष
केशरी शिक्षण समिति, जाँजगीर
जिला : जाँजगीर–चाम्पा (छ.ग.)

प्रथम पक्षकार (पट्टादाता)

(सुरेश यादव)

गवाह

1. अभिषेक ठेठवार पिता देवेन्द्र ठेठवार ग्राम जाँजगीर
2. मनहरण सूर्मा पिता डी. आर. सूर्मा ग्राम जाँजगीर

TRUE COPY

E 6 SEP 2012

Principal
Gyanoday College of Education
Janjgir, Distt.-Janjgir-Champa (C.G.)

Gyanoday College of Education
Janjgir, Distt. Janjgir-Champa (C.G.)

(9) 1768

16

रसीद दस्तावेज वगैरह 3635474

मुकाम .....

तफसीलवारी व कीमत या तारीख या किस्म जो मुहरबंद किया गया हो जिसके बाबत फीस ली उसके ऊपर लिखी हुई इबारत (2)	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा (3)	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत (4)
बुत शटौर नकल	25=00	

उप-पंजीयक
जांजगीर

FIFTY RUPEES
₹ 50
सत्यमेव जयते
INDIA
NON JUDICIAL
GOVT. OF CHHATTISGARH

L 215160

NOTARY
B.M. DUBEY
BILASPUR (C.G.)
C.G. 14/13/5-2-03
21 OCT 2015
GOVT. OF CHHATTISGARH

Principal
Gyanoday College of Education
Janjgir, Distt.-Janjgir-Champa (C.G.)

PRINCIPAL
Gyanoday College of Education
Janjgir, Distt.-Janjgir-Champa (C.G.)

(10)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये ₹.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

L 215161

NOTARY
R.M. DUBEY
AMBIKAPUR (C.G.)
C.G. 14/13/5-2-03
27 OCT 2003
GOVT. OF CHHATTISGARH

Principal
Gyanoday College of Education
Janjgir, Distt.-Janjgir-Champa (C.G.)

PRINCIPAL
Gyanoday College of Education
Janjgir, Distt.-Janjgir-Champa (C.G.)